№ 0087393 1990 **Himachal Government Judicial Paper**

किमत भूमि:	किस्म वसीका:	किमत अस्टाम्प:	किता अस्टाम्प:	सतरें: रूफ:
2,566-32/-	"बैयनामा"	600/-	तीन	48 48
मलीयती:	रकबा:	500x1.50x2=600/-		
5,000/-	0-5-2 विघा			

x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x

§ बैय नामा §

यह कि विक्रेया विलेख आज दिनांक:- 6।0मई सन 1991 को श्री कन्हैया लाल, पुत्र श्री मोही राम, पुत्र श्री कुन्दन, उमर52 साल, साकिन जगजीतनगर, परगना धारठ, उप-तहसील कृष्णगढ़, जिला सोलन हिमाचल प्रदेश § जिसे पहले पक्ष में विक्रेता कहा गया है § प्रथम पक्ष व श्री बन्सी राम, पुत्र श्री तुलसी राम, साकिन मौजा छत्याना, परगना धारठ, उप-तहसील कृष्णगढ़, जिला सोलन हिमाचल प्रदेश § जिसे इसकें उपरान्त क्रेता कहा गया है § द्वितीय पक्ष के बीच लिखा गया है ।

यह कि विक्रेता भूमि खेवट/खतौनी न0 80मिन/82 मिन, खसरा न0 490/468/340, रकबा तदादी 0-15-8 विघा § 15 विस्वा व 8 विस्वान्सी वाका मौजा जगजीतनगर, परगना धारठ, उप-तहसील कृष्णगढ़, जिला सोलन हि0प्र0

Kanhaiya Lall

पै नामा मु० 5000/- रु०
अष्टम मु० 600/- रु०

कार्यालय उप पंजीकार
कृष्णगढ़

Sub-Registrar
Krishangarh, District Solan (H.P.)

Kangaldi
पत्रकर्ता

यह विलेख .... [illegible] .... पुत्र/पुत्री .... [illegible] .... का तहसील [illegible] .... 0.5.91 तदानुसार [illegible] कृष्णगढ़ मे [illegible] कार्यालय में पंजीकरण हेतु पेश किया

Sub-Registrar
Krishangarh, District Solan (H.P.)

Sub-Reg[illegible]
Krishan[illegible]

№ 0087394 1990 **Himachal Government Judicial Paper**

-: 2 :-

का वाहिद मालिक तथा काबिज है जैसा कि नकल जमाबन्दी साल 1988-89 में दर्शाया गया सलंग्न है ।

यह कि विक्रेता प्रथम पक्ष ने उपरोक्त भूमि खसरा न0 490/468/340, रकबा तदादी 15 बिस्वा व 8 बिस्वान्सी में से 1/3 हिस्सा रकबा तदादी 0-5-2 बिघा (5 बिस्वा व 2 बिस्वान्सी) वाका मौजा जगजीतनगर, परगना धारठ, तहसील कसौली, जिला सोलन हि0प्र0 के विक्रय करने का सौदा क्रेता के साथ मु0 5,000/- (पांच हजार रुपयें) निस्फ जिसके 2,500/- (दो हजार पांच सौ) होते है, में कर लिया है ।

यह कि विक्रेता प्रथम पक्ष ने उपरोक्त बैय राशि में मुबलीग 1,000/- (एक हजार रुपयें) बतौर ब्याना के रुबरू गवाहान हजा पहले वसूल कर लिये है तथा शेष राशि मु0 4,000/- (चार हजार रुपयें) वा वक्त तसदीक रजिस्ट्री रुबरू सब-रजिस्ट्रार कृष्णगढ़ के वसूल पावेगा ।

यह कि विक्रेता प्रथम पक्ष ने अपनी उपरोक्त भूमि खसरा न0 490/468/340, रकबा तदादी 0-15-8 बिघा का 1/3 हिस्सा रकबा तदादी 5 बिस्वा व 2 बिस्वान्सी के विक्रय करने का सौदा क्रेता के साथ मुबलीग 5,000/- रुपयें मे स्वात्व, स्वामित्व, पथ, जल, वायु, प्रकाश, सुख, भोग

पृष्ठ-: 3 :-

Kundal

इस विलेख का लेख - दर - शब्द पेशकर्ता को निम्न लिखित गवाहान के समक्ष पढ़ कर सुनाया व समझाया गया, जिसे सुन व समझ कर उस ने इस के निष्पादन को सही स्वीकार किया ।

पेशकर्ता ने रु 10000/- रु पहले ही क्रेता से प्राप्त करने स्वीकार [illegible] रु 4800 रु (पाँच हजार) [illegible] संरक्षक [illegible] के [illegible] जिसे विक्रेता ने वसूल कर लेना स्वीकार किया ।

श्री अमरसिंह से मैं स्वयं परिचित हुँ जो [illegible] दूसरे गवाह की भी पहचान करता है अतः [illegible] होवे ।

Sub-Registrar
Krishangarh, District Solan (H.P.)

अमरसिंह

Kanjalal

दिवानराम

Sub-Registrar
Krishangarh

अधिकार, आबपाशी, आबनोशी, चरान्द, कटान्द्र वन अधिकार, आबादी का अधिकार तथा अन्य अधिकार जो भी विक्रेता को उपरोक्त भूमि के सम्बन्ध में है या होते वो पूर्ण विक्रय रूप में हमेशा के लिए क्रेता के पक्ष में हस्तान्तरण कर दिये है । अब क्रेता उपरोक्त भूमि का मालिक तथा काबिज है जिसको कि उपरोक्त भूमि बैय करने, रैहन करने, हिब्बा करने, तबादला करने व पटटा आदि पर देने का पूर्ण अधिकार तथा क्षमता है ।

यह कि विक्रेता ने क्रेता को मौका पर उपरोक्त रकबा का कब्जा मौका पर सौंप दिया है । अब अगर उपरोक्त रकबा बेचुदा या किसी त्रुटी से क्रेता के कब्जा तथा अधिकार से निकल जावे तो ऐसी अवस्था में विक्रेता क्रेता की हानि अपनी सम्पत्ति से पूरा करने को बाध्य होगा ।

यह कि विक्रेता यह भी विश्वास दिलाता है कि उपरोक्त भूमि हर प्रकार से साफ व पाक है तथा यह भी लिखा देता है कि उपरोक्त भूमि पर अब उसके किसी वारिस उत्तराधिकारी का कोई वास्ता किसी किस्म का नही होगा ।

पृष्ठ-: 4 :-

K... (signature)

प्रमाणित किया जाता है कि लेख नं० 55
दिनांक 10-5-91 को पंजीकृत हुआ जो बही नं० 1
के खण्ड नं० 2 के पृष्ठ नं० 13 पर
दर्ज हुआ तथा प्रति अतिरिक्त बही नं० 1
के भाग संख्या 9 जिल्द नं० 43
से 46 तक चस्पा किये गये तथा अन्य
कागजात अनुपूरक बही संख्या जिल्द no. 3 के पेज
पेज 79 तक चस्पा किये गये।

Sub-Registrar
Krishangarh, District Solan (H.P.)

Sub-Re
Krish

0096591 1990 **Himachal Government Judicial Paper**

यह कि विक्रेया विलेख में प्रयोग किये गये शब्दों में विक्रेता व क्रेता के अतिरिक्त उनके जाईज वारिस उत्तराधिकारी भी समलित समझे जावेंगे ।

अत: विक्रेता ने अपने तन-मन की पूर्ण स्वास्थ अवस्था तथा स्वातन्त्र इच्छा से निम्न हस्ताक्षर करने वाले साक्षियों की मोजुदगी में हस्ताक्षर कर दिये कि प्रमाणित रहें और वक्त जरूरत काम आवे । मजकुन विक्रेया नामा पढ़ कर सुन व समझ लिया जोकि सुन व समझ कर सही व दुरुस्त माना आज दिनांक:- 10 मई सन 1991 स्थान कसौली/कृष्णगढ़

अमर सिंह

गवाह:-

1. श्री अमर सिंह नम्बरदार
साथ जाजोगा
Dhaker

2. श्री सिबा राम, S/o किशन सिंह
मौजा ... कसौली

विक्रेता
Kanhaiya Lal
{ कन्हैया लाल }

वसीका नवीस ...
... राम दा शर्मा
... कसौली जिला सोलन (हि० प्र०)
8 Mar 1993

Sub-Registrar
Krishangarh, District Solan (H.P.)

Good No 55

D. L. R. Form No. 1

जमाबन्दी एक साला मौजा जगजीत नगर परगना धारटू उप-तहसील कसौली

परगना धारटू उप तहसील कसौली जिला सोलन

जिला सोलन दि० 15 जून 1989 ता 16 जून 1990 तक

नम्बर खतौ०	वाकल अवल	वाकल दोम	पलाट	नजर कदीम	नंबरग्रं०	कुल रकबा	जरे सबत	विवरण	क्या हरे खेत व मिजान ता मय किस्म अराजी — बीघों में	मीट्रिक इकाईयों में	लगान जो जरा अदा करता है व तफसील शरह व तादाद	हिस्सा व पैमाना हकीयत व तरीका बाछ	मुतालबा व शरह मुआमला व हवब	कैफियत
										8	9	10	11	12
365	–	–	–	0-1-16	–	0-1-16	2000/=		-15-8 जर कदीम -12-9 उत्तर -2-10 रे.ग्रं० आम -0-9			बराहे रकबा 1/)	माल 0.41	
366	–	–	–	0-3-3	–	0-3-3	1000/=							
367	–	–	–	0-3-0	–	0-3-0	2000/=							
3	–	–	–	0-7-19	–	0-7-19	4000/=		बा -x- 5-2	माल -x- 0.13				

परता = 0.55 प्रति बिघा

1. कीमत फी बिस्वासी = 25.16
2. " " बिस्वा = 503.20
3. " बीघा = 10,064.00

PSL

व्यो/का पटवारी
जगजीत नगर
5/5/91

R. No 277 Dt 5.5.91

नकल मुताबिक असल के सही व दुरुस्त है बाबत पावर स्टेशन
इजलास कलैक्टर
कि० उर्फ/ पटवारी
जगजीत नगर
5.5.91

प्रमाण पत्र

तस्दीक किया जाता है कि हरबंस पुत्र तुलसी राम पुत्र दीप राम साकन हरूमाना परगना ग्राहर उप तहसील कृष्णगढ़ जिला सोलन हिमाचल प्रदेश का बाशिन्दा है। इस की अपनी मलकियात अराजी मजरूआ व गैर मजरूआ कुल 0-17-4 है।
0-5-3 0-12-1
जिसे यह इस मौजा में स्वंय काश्त करता है तथा कृषक की परिभाषा में आता है। हाल आबाद मौजा डडोल कोठी परगना बसंतपुर तहसील कसौली में है।

सीआ/पटवारी
जगजीत सिंह
7/5/91

PSL